सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 263 राँची, शुक्रवार, 22 मार्च, 2019 (ई०)

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

---

अधिसूचना

18 फ़रवरी, 2019

**संख्या-14/विविध-15-10/2018 का० 1436**-- वैसे व्यक्तियों, जो योग्य न हो, को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का प्रमाण पत्र निर्गत करने पर रोक लगाने के माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा कुमारी माधुरी पाटिल एवं अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास परिषद्, एस.एल.पी. (सिविल) सं0-14767/1993 के मामले में पारित निर्णयादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-3630, दिनांक-08.07.2004 द्वारा गठित छानबीन समिति को पुनर्गठित करते हुए एकीकृत जाति छानबीन समिति (Scrutiny Committee) का निम्नरूपेण गठन किया जाता हैः-

1. सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची। - अध्यक्ष
2. आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची - सदस्य
3. निदेशक, डॉ० रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची - सदस्य
4. अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड - सदस्य
5. सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड - सदस्य
6. सरकार द्वारा मनोनीत अनुसूचित जनजातियों के संबंध में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति - सदस्य
7. सरकार द्वारा मनोनीत अनुसूचित जातियों के संबंध में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति - सदस्य
8. सरकार द्वारा मनोनीत पिछड़े वर्ग की जातियों के संबंध में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति - सदस्य
9. संयुक्त सचिव/उप सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची - सदस्य सचिव

## समिति का कार्यक्षेत्र

1. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें प्राधिकृत अधिकारियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत आवेदन में वर्णित जाति और उस जाति के लिये अधिसूचित स्थान के बारे में ऐसा प्रश्न निहित है, जिसका विनिश्चय उच्च स्तर पर किया जाना हो और उनके द्वारा उच्च स्तरीय समिति को निर्देशित किये गये हों।

2. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र आवेदन निरस्त करने के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गयी हो।

3. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें प्राधिकृत पदाधिकारी ने यह पाया हो कि आवेदक के द्वारा असत्य एवं गलत तथ्यों के आधार पर अथवा फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, एवं

4. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें यह शिकायत की गयी हो कि असत्य या गलत तथ्यों के आधार पर अथवा फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र प्राप्त कर आरक्षण की सुविधा प्राप्त कर ली गयी है, जिसके लिये वास्तव में पात्रता न थी।

5. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें 15 वर्ष या उससे अधिक आयु (पहुँचने) के बाद दत्तक पुत्र/पुत्री बनाने की कार्यवाही के आधार पर प्रमाण पत्र चाह रहा/रही हो।

6. समिति के द्वारा अपनायी जानेवाली जाँच प्रक्रिया समिति के विवेकानुसार होगी। समिति की सुविधा हेतु आदर्श जाँच प्रक्रिया परिशिष्ट-I के रुप में संलग्न है।

7. समिति की बैठक

क. समिति प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

ख. बैठक की तिथि एवं स्थान/समय का निर्धारण अध्यक्ष की अनुमति से की जायेगी, जिससे सदस्य सचिव सभी सदस्यों को सूचित करेंगें।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**के० के० खण्डेलवाल,**
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

## समिति की सुविधा हेतु आदर्श जांच-प्रक्रिया

छानबीन समिति, जाँच का कार्य पुलिस अधिकारी के माध्यम से करायेगी। जाँच अधिकारी मौके पर जाकर विस्तृत जाँच प्रतिवेदन छानबीन समिति को निर्धारित अवधि के अंदर प्रस्तुत करेगा।

2. छानबीन समिति, यदि जाँच अधिकारी की रिर्पोट के आधार पर यह पाती है कि आवेदक का सामाजिक स्तर का दावा सही नहीं है या संदेहास्पद है या गलत रुप से दावा प्रस्तुत कर रहा है, तब समिति ऐसे आवेदक को जाँच अधिकारी को रिर्पोट की प्रति के साथ पंजीकृत डाक से रसीद सहित कारण बताओ सूचना/पत्र शैक्षणिक संस्था या कार्यालय प्रमुख के माध्यम से भेजेंगे। कारण बताओ सूचना पत्र में इस बात का उल्लेख होगा कि आवेदक अपना अभ्यावेदन या उत्तर कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर संचालक को प्रस्तुत करें और किसी भी परिस्थिति में अभ्यावेदन अथवा उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 30 दिन से अधिक का समय नहीं दिया जायेगा। यदि आवेदक उसे सुनने का और बचाव पक्ष प्रस्तुत करने करने का अवसर चाहता है तो ऐसा आवेदन या उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् समिति की बैठक अध्यक्ष बुलायेंगें और समिति के अध्यक्ष के रुप में आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देंगें। समिति प्रकरण में निर्णय लिये आम सूचना जारी करेगी, जिसका प्रचार प्रसार गांव में या मोहल्ले में डौडी या अन्य सुविधाजनक साधनों से किया जायेगा। ताकि यदि कोई व्यक्ति या संघ आवेदक के दावे का विरोध करना चाहे तो वे कर सके। आवेदक को ऐसा अवसर देने के बाद भी आवेदक को उसके अभिभावक के माध्यम से या अन्य अवसर देने के बाद समिति ऐसी जाँच कर सकेगी, जिसमें आवेदक के दावे और अन्य आपत्तियों पर विचार करने के लिए शीघ्र निर्णय लिया जाना आवश्यक हो। उभय पक्षों को सुनकर समिति एक उचित आदेश पारित करेगी जिसमें निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये संक्षिप्त तर्कों अथवा तथ्यों का विवरण दिया जायेगा।

3. ऐसे प्रकरणों में जहां जाँच अधिकारी की रिर्पोट आवेदक के पक्ष में हो, समिति को किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी।

4. यदि उम्मीदवार अवयस्क हो तो उसके माता-पिता/अभिभावकों को भी सूचना पत्र जारी किया जायेगा ताकि उसके माता-पिता/अभिभावक अपने दावे के पक्ष में साक्ष्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकें।

5. समिति द्वारा जाँच दिन प्रतिदिन के आधार पर की जायेगी और किसी भी स्थिति में इसे पूर्ण करने के लिये 02 माह से ज्यादा समय नहीं लेगी। यदि जाँच समिति यह पाती है कि आवेदक का दावा झूठा या असत्य है तो समिति ऐसी जाति प्रमाण-पत्र को निरस्त करने या राजसात करने के लिये आदेश पारित करेगी। इस जांच के निष्कर्षो से उम्मीदवार या उसके माता-पिता/अभिभावकों को एक माह के भीतर अवगत कराया जायेगा।

6. छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

**के० के० खण्डेलवाल,**
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 263 -- 50